

भारतीय और न्यायिक



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
उत्तराखण्ड UTTARAKHAND
(कानूनी नियम और आदेश)

13AA 467316

प्रखण्ड 26

(नियम 4क देखिए)

4 व्यक्ति

निर्वाचन क्षेत्र से ३८२१२५०५

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

निर्वाचन क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं... सबरसिंह पुत्र/ मुमी/ भती... शैशवसिंह आयु... 51 वर्ष,
जोगास्तीड़ी... जिला... न्योली का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा
करता हूं/ करती हूं/ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूं/ करती हूं....

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त
नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(मिल अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) : नहीं

(i) मापला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं नहीं

(ii) पुलिस थका (थाने) नहीं जिला(ज़िले)..... नहीं राज्य..... नहीं

(iii) संवैधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
प्रति अपराधी अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(iv) (प्रति अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(v) नाम (प्रति अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं


(vi) वास संभाल या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नहीं

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभियाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेर सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और राही है तथा इसका कोई भी भाग गिर्धा नहीं है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषित करता / करती हूँ कि

(क) ऊपर के मद सं 3 और 4 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर मेरे खिलाफ़ कोई दोष गिर्धा या लंबित मामला नहीं है।

(ख) ऊपर मद सं 5 और 6 में उल्लिखित परिसंपत्ति और देनदारी को छोड़कर मेरे पति / पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई अन्य परिसंपत्ति या देनदारी नहीं है।



2. शपथपत्र पर ओथरकमिशनर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी परिवार के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई भी खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के सबै में कोई सूचना नहीं हो तो या 'शून्य' या 'लागू नहीं' लैगा भी मामला हो तिथा जाना चाहिए।
4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या पठनीय और स्वच्छ तरीके से लिखा होना चाहिए।